लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 26 मार्च 2022 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक आज दिनांक 26 मार्च, 2022 को अपराहन् 1:00 बजे प्रसाशनिक भवन स्थित मंथन कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1.	**श्री आलोक कुमार राय**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी। प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	डा0 विनोद कुमार सिंह,	कुलसचिव	सदस्य
5.	श्री विद्यानन्द त्रिपाठी	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 11 नवम्बर,, 2021 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2022–23 का राजस्व/पूँजीगत/स्ववित्त पोषित पाठ्यकम/विकास निधि का आय–व्ययक विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत आय–व्ययक पर समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला एवं शिल्प महाविद्वालय का वित्तीय वर्ष 2022–23 का राजस्व/पूँजीगत/स्ववित्त पोषित पाठ्यकम के आय–व्ययक विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत आय–व्ययक पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–3

परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित परीक्षा संचालन हेतु नोडल/परीक्षा केन्द्रो को दिये जाने वाले अग्रिमों (छात्र संख्या के आधार पर) से सम्बन्धित प्रस्ताव को वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ई–1704/जी.एस. दिनांक 23 मार्च, 2022 के अनुसार जारी दिशा–निर्देश

के कम में कार्यवाही किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही परीक्षा हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षक की नियुक्ति जानी है, जिन्हें रू0 540/- प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। नोडल केन्द्र पर एक नोडल प्रभारी, दो सहायक नोडल केन्द्र प्रभारी तथा समूह 'ग' के अधिकतम् तीन एवं समूह 'घ' के अधिकतम् चार कर्मचारी अनुमन्य होंगे। नोडल प्रभारी को रू0 145/- प्रतिपाली, सहायक नोडल केन्द्र प्रभारी को रू0 130/- समूह 'ग' एवं समूह 'घ' हेतु कमशः रू0 80/- एवं रू0 60/- प्रतिपाली दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या-4

परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्तावः-

1 मॉडरेशन हेतु रू0 1500/- प्रति सदस्य (अधिकतम 03 शिक्षकों तक) की दर निर्धारित की गयी है जोकि मूलतः एम.सी.क्यू. प्रश्न पत्रों हेतु लागू करने की मंशा है। अतः परम्परागत प्रश्नपत्रों के मॉडरेशन हेतु पूर्व निर्धारित दर रू0 100/- दिन (अधिकतमरू0 300/- की सीमा तक) को सम्यक स्तर पर निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त दरें पूरे सेमेस्टर पर लागू हैं, अतः इसे यथावत् रखा जाए।

2 परीक्षा मॉडरेशन, केन्दीय कन्डक्ट/इवोल्यूशन/रिजल्ट प्रिपरेशन के अन्तर्गत सुपरिइटेन्डेन्ट/असि0 सुपरिइटेन्डेन्ट हेतु पूर्व निर्धारित दर कमशः रू0 8100/-6600/-के संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर परीक्षा नियंत्रक द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि परीक्षा संचालन के उपरान्त दिये जाने वाले मानदेय से सम्बन्धित जारी आदेश संख्या 299-304/एफ.ओ. दिनांक 02.06.2021 के कम संख्या 13 पर अंकित Superintendents/Assistant Superintendents of Examination involved in the conduct/evaluation.result preparation.. से **"Conduct"** शब्द डिलीट कर दिया जाए, जिसपर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

3 परीक्षा अवधि के दौरान प्रातः एवं सायं परीक्षा कार्यो में योगदान के सापेक्ष 30 दिनों की सीमा तक ही भुगतान के निर्देश हैं। ज्ञातब्य है कि सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में सामान्य तौर पर प्रत्येक सेमेस्टर में 90 दिवसों में विभिन्न परीक्षायें आयोजित की जा रही हैं। अतःपूर्व निर्गत आदेश संख्या परीक्षा संचालन के उपरान्त दिये जाने वाले मानदेय से सम्बन्धित जारी आदेश संख्या 299-304/एफ.ओ. दिनांक 02.06.2021 के कम संख्या 18 पर अंकित 30 दिवस की सीमा को हटाए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किया गया, पर चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा इस कार्य हेतु दिये जाने वाले मानदेय तृतीय श्रेणी को रू0 80/- प्रति-शिफ्ट/प्रति सेमेस्टर एवं चतुर्थ श्रेणी को रू0 60/- प्रति-शिफ्ट को बढ़ाकर तृतीय श्रेणी को रू0 120/- प्रति शिफ्ट/प्रति सेमेस्टर तथा चतुर्थ श्रेणी को रू0 80/- प्रति-शिफ्ट/प्रति सेमेसटर किये जाने पर अनुमति प्रदान की गयी तथा समय सीमा यथावत् 30 दिन रखने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या-5

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तरीय पाठ्यकमों हेतु पूर्व निर्धारित परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.08.2021 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पूर्व निर्धारित शुल्क में रू0 500/- प्रति समेस्टर की कमी किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके कम में कार्यालय आदेश संख्या आर/886/2021 दिनांक 31.08.2021 कटौती का आदेश कुलसचिव कार्यालय के द्वारा निर्गत किया गया था। तत्कम में सहयुक्त महाविद्यालयों द्वारा पुनः और कमी के अनुरोध पर पुनः गठित समिति द्वारा स्नातक स्तर के (बी.ए.,बी.एस.सी., बी.काम. एवं विधि त्रिवर्षीय) पाठ्यकमों हेतु पूर्व निर्धारित परीक्षा शुल्क में रू0 250/- प्रति-समेस्टर की अतिरिक्त कमी किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी अर्थात दिनांक 05.08.2021

को परीक्षा शुल्क में की गयी कमी रू0 500/– के स्थान पर रू0 750/– किये जाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.काम में उपरोक्तानुसार शुल्क में की गयी कटौती पर सहमति व्यक्त की गयी। उक्त कटौती के उपरान्त संशोधित शुल्क अध्यादेश प्रस्तुत किया गया, जिसपर वित्त समिति के द्वारा सहमति प्रदान कर शासन को संदर्भित करने हेतु संस्तुति की गयी।

बिन्दु संख्या–6

लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रचलित दैनिक वेतन की दर पर टीचर्स स्टाफ क्लब में चतुर्थ श्रेणी (परिचर) के पद पर श्री बब्लू कुमार को 01 फरवरी, 2019 से भुगतान करवाने तथा भविष्य में भी कार्य लिए जाने सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 11.11.2021 में लिए गये निर्णय "कि श्री बब्लू कुमार द्वारा विश्वविद्यालय दैनिक भुगतान की दर से 01.02.2019 से कार्य के उपरान्त कार्य करने के स्वीकृति (Ex-Post facto approval) प्रदान करते हुए भुगतान करने तथा अब श्री बब्लू कुमार को टीचर्स स्टाब क्लब में नियत वेतन पर कार्य किये जाने की अनुमाति प्रदान किये जाने अपनी संस्तुति इस अभियुक्ति के साथ करती है कि उक्त कार्मिक का वेतन भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जाए एवं वित्त समिति एवं कार्य–परिषद के अनुमोदन हेतु भी प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव कुलसचिव महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसपर प्रतिनिधि सचिव वित्त द्वारा कहा गया कि इस सम्बन्ध में समस्त पहलुओं पर विचार हेतु एक समिति गठित कर पुनः परीक्षण कराकर प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्या–7

प्रो0 मधुरिमा प्रधान, निदेशक हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी, मनोविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तुत आय–व्ययक वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा इस आशय का संज्ञान लिया गया कि उक्त बजट विश्वविद्यालय के मूल बजट में समाहित है, तो इसे अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। उक्त निर्णय पर समिति के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–8

अधिष्ठाता छात्र कल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में 05 ई–रिक्शा चालक अस्थाई रूप से आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किये जाने व ई–रिक्शा कय तथा ई–रिक्शा चालकों पर होने वाले व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सुविधा को निरन्तर चलाएमान रखे जाने के निर्देश प्रदान करने के साथ ही सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–9

कुलसचिव कार्यालय के आदेश संख्या आर./2208–12 दिनांक 04.02.2022 द्वारा वाह्य सदस्यों के लिए मानदेय निर्धारण हेतु समिति गठित समिति की बैठक दिनांक 29.06.2016 में सम्पन्न हुई वित्त समिति की बैठक में बिन्दु संख्या 4–5 में लिए गये निर्णयानुसार अनुशासनिक समिति की बैठकों में आमंत्रित वाह्य सदस्यों के लिए निर्धारित मानदेय रू0 2000/– तथा चयन समिति की बैठकों में आमंत्रित वाह्य सदस्यों हेतु रू0 3000/– अनुमोदित है। इसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकरणों पर जॉच हेतु मा0 कुलपति महोदय के द्वारा गठित की जाने वाली समितियों में नामित वाह्य सदस्यों को मानदेय के रूप में रू0 2000/–को बढ़ाकर रू0 3000/– प्रति बैठक तथा यात्रा भत्ता (स्थानीय भत्ता सहित) का भुगतान किये जाने की अनुशंसा को वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–10

समन्वयक/प्रो0 इंचार्ज अभियांत्रिकीय संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित माह जुलाई, 2021 से संकाय में ट्रेनिंग एवं प्लेसमेण्ट इंचार्ज के रूप में कार्यरत शिक्षक को रू0 10,000/– प्रतिमाह दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर पर सहमति व्यक्त की गयी। इस विषय पर अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि वर्तमान में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तथा भविष्य में इस विषय पर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर इस हेतु एक प्लेसमेण्ट आफीसर का पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव अगली वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–11

प्रो0 मधुरिमा प्रधान, निदेशक काउन्सिलिंग एण्ड गाईडेन्स सेल हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु तैयार किये गये आय–व्ययक रू0 8,50,0000/– वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा इस आशय का संज्ञान लिया गया कि उक्त बजट विश्वविद्यालय के मूल बजट में समाहित है, तो इसे अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

बिन्दु संख्या–12

डा0 संजय मेधावी, विभागाध्यक्ष व्यापार प्रशासन विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विश्वविद्यालय में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम (नियमित) के अन्तर्गत अध्ययरत् छात्र/छात्राओं से पूर्व में ली जा रही शुल्क रू0 48,173/– के स्थान पर 39,530/– प्रति–समेस्टर लिए जाने पर विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा चर्चा उपरान्त विनिश्चत किया गया कि पूर्व निर्धारित फीस यथावत् रखा जाए।

बिन्दु संख्या–13

द्वितीय परिसर, लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित जिम हेतु 01 इंस्ट्रक्टर/ कोच तथा 02 ग्राउण्ड–मैन को संविदा/आउटसोसिंग के माध्यम से कमश रू0 18,000/– एवं रू0 11,000/– प्रतिमाह की दर से नियोजित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पहले पद सृजन से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा जाए, तदुपरान्त सृजित पदो के सापेक्ष जबतक कोई नियुक्ति नही की जाती है तबतक आउट–सोर्सिंग के माध्यम से ही नियोजित कार्मिकों से कार्य लिया जाए।

बिन्दु संख्या–14

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/परास्नातक/डी.फार्मा/समस्त प्रोफेशनल प्रोग्राम 2022–23 एवं पी.एच.डी./ डी.लिट/ डी.एस.सी./ एल.एल.डी. सत्र 2021–22 एवं 2022–23 हेतु तैयार किये गये आय–व्ययक को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा इस आशय का संज्ञान लिया गया कि उक्त बजट विश्वविद्यालय के मूल बजट में समाहित है, तो इसे अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

बिन्दु संख्या–15

विशेष सचिव, युवा कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या –02/पचास –यु0क0–20222–102(पी.वी.डी.)/1998 दिनांक 06 जनवरी, 2022 निर्गत होने की तिथि 06.01.2022 से प्रति स्वयं सेवक को प्रतिदिन रू0 375/– से बढ़कर रू0 395/– में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त शासनादेश को अंगीकृत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–16

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/परास्नातक प्रवेश प्रकिया में लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रतिभाग करने के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/परास्नातक प्रवेश प्रकिया में लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रतिभाग करने पर 1- For General Programmes Rs. 50,000/- Plus 18% GST (For Upto two Programmes) For additional programme 25,000/- Plus 18%GST (Per Programme) 2-For Frofessional Programmes Rs. 1,00,000/- Plus 18% GST (For Upto two Programmes) For additional programme 50,000/- Plus 18%GST (Per Programme) शुल्क लिए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–17

प्रो0 नलिनी पाण्डेय, वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव कि विभाग में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम एम.एस.सी. माइक्रोबायोलॉजी के बजट से एक तृतीय श्रेणी व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पहले पद सृजन से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तदुपरान्त इन पदों के सापेक्ष आउट–सोर्सिंग के माध्यम से ही नियोजित कार्मिकों से कार्य लिया जाए।

अन्य बिन्दु।

बिन्दु संख्या–1

लखनऊ विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन कार्मिकों तथा आउट–सोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कार्मिकों हेतु श्रम विभाग के आदेश संख्या 630–37 दिनांक 08.10.2021 के कम में जारी दरें समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसपर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब–जब किसी भी प्रकार का कोई शासनादेश जारी होता है वह स्वतः ही अंगीकृत कर लिया जाए। समिति द्वारा उक्त निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–2

लखनऊ विश्वविद्यालय में रिक्त पदों एवं संविदा शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने हेतु राजभवन से प्राप्त निर्देशों के कम में परीक्षाए एवं साक्षात्कार कराए जाने के सम्बन्ध में तैयार किये गये आय–व्यय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–3

एम.बी.ए. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संविदा के आधार पर पदों के सृजन के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष, व्यापार प्रशासन विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पहले पद सृजन से सम्बन्धित प्रस्ताव विश्वविद्यालयी नियमानुसार अनुमोदन के उपरान्त ही नियुक्ति की जाए, तबतक के लिए शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आउट–सोर्सिंग के माध्यम से ही नियोजित कार्मिकों से कार्य लिया जाए।

बिन्दु संख्या–4

लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर में आउट–सोर्सिंग के माध्यम से नियोजित सुरक्षा गार्डों की संख्या के निर्धारण के सम्बन्ध में कुलानुशासक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार दिये गये उभय परिसर हेतु 200 सरक्षा गार्डो पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–5

लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रबन्ध विज्ञान संस्थान एवं व्यापार प्रशासन विभाग में स्ववित्त प्रोषित योजनातर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट्स प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार नियत वेतन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार वेतन निर्धारण पर सहमति व्यक्त की गयीः–

क्रम सं॰	पदनाम	वेतन
1	सहायक प्रोफेसर	रू॰ 57,700/– प्रतिमाह (नियत) + ईपी.एफ.
2	एसोसिएट् प्रोफेसर	रू॰ 85,000/– प्रतिमाह (नियत) + ई.पी.एफ.
3	प्रोफेसर	रू॰ 1,10,000/– प्रतिमाह (नियत) + ई.पी.एफ.

उक्त वेतन निर्धारण दिनांक 29 जुलाई, 2021 को जारी विज्ञापन संख्या आर/06/21/एस.एफ. के अन्तर्गत नियुक्त किये गये सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट्स प्रोफेसर तथा प्रोफेसर पर लागू होगी।

बिन्दु संख्या–6

अभियांत्रिकीय संकाय के अन्तर्गत असि0 प्रोफेसर (संविदा) एवं प्रयोशाला अनुदेशकों (संविदा) के वेतन बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर एक समिति बनाई जाए एवं समिति द्वारा दी गयी अपनी आख्या/रिपोर्ट के अनुसार समिति की संस्तुतियों को वित्त समिति के समक्ष रखा जाए। अभियांत्रिकीय संकाय में AICTE के नियमानुसार निदेशक के पद सृजन की संस्तुति की गयी।

बिन्दु संख्या–7

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के उप–महा प्रबन्धक द्वारा अपनी बैंक के द्वारा सेवा प्रदान करने (फ्री ऑफ कास्ट गेट–वे दिये जाने से सम्बन्धित) से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। उक्त व्यवस्था प्रचलित व्यवस्था के साथ अतिरिक्त रूप में लागू होगी।

बिन्दु संख्या–8

परीक्षाओं के संचालन हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को दी जाने वाली अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में स्थापित पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुए महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ई–1704/जी.एस. दिनांक 23 मार्च, 2022 के अनुसार जारी दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–9

लखनऊ विश्वविद्यालय एवं इससे सहयुक्त लखनऊ जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों में स्नातक/परास्नातक स्तर की सेमेस्टर की परीक्षाओं में सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु उड़नदस्ते के सदस्यों/कार्यालय कर्मचारियों को जनपद के बाहर जाने वाले पर, उन्हें दी जाने वाली दरों का अनुमोदन प्रदान करने विषयक प्रस्ताव कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा पूर्व निर्धारित मानदेय की दरों के अतिरिक्त अनुषांगिक व्यय के रूप में लखनऊ के बाहर जाने वाले सदस्यों को नियमानुसार अनुमन्य डी.ए. दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–10

लखनऊ विश्वविद्यालय में वी.सी. केयर फण्ड की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत पात्र छात्र–छात्राओं को सत्र में एक बार अधिकतम् रू0 50,000/– तक की सहायता प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव पर समिति द्वारा हर्ष व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–11

लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें दिनांक 25.03.2022 का परीक्षा ड्यूटी के दौरान वरिष्ठ कर्मचारी स्व0 महेन्द्र प्रसाद कनौजिया की मृत्यु हृदयगति रूक जाने के कारण हो गयी थी, परीक्षा ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु के दृष्टिगत उनके परिवार को रू0 10.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा रू0 1.00 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय कुलपति विवेकाधीन कोष से तत्काल दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। उक्त के अतिरिक्त भविष्य के लिए एक समिति गठित कर उपलब्ध व्यवस्था के अन्तर्गत श्रेष्ठतम् आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–12

प्रो0 जे.वी. वैशम्पायन, व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग के अनुरोध पर कुलसचिव द्वारा दिनांक 11.10.2013 से 21.11.2017 तक कुलपति के पद पर सेवाभार ग्रहण करने हेतु असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था। इस अवकाश के उपभोग के उपरान्त नोशनल वेतन वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु प्राप्त प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति में चर्चा के उपरान्त यह मत व्यक्त किया गया कि चूँकि यह प्रकरण विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.19 II D के अन्तर्गत "कुलपति का पद Academic Work of Importance" के अन्तर्गत आता है, अतः ऐसे प्रकरणों में स्वीकृत किये गये असाधारण अवकाश के उपभोग के उपरान्त शिक्षकों को नोशनल वेतन वृद्धि दिया जाना नियमानुकूल होने के कारण सहमति व्यक्त की गयी।

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी

(डा॰ विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक

26/3/22

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
प्रतिनिधि – अपर मुख्य सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार,
प्रतिनिधि – अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति